



Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

Accredited A+ by NAAC, Bengaluru

Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: Bachelor of Commerce				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Prof. Shobhit Kumar Bajpayee	Professor	Ph.D	skvajpeyee@gmail.com 9425230007
2.	Dr. Mordhwaj Tripathi	Assistant Professor	Ph.D	mordhwajtripathi@gmail.com 8770488723
3.	Ms. Ankita Lakra	Assistant Professor	M.Com. NET	Ankitalakra97@gmail.com 8889584280

Eylbas
REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Qianuzi
Regional Director
Regional Director
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752 website- pssou.ac.in

क्र. 452 / प्रशा./स्था./2021

बिलासपुर, दिनांक : 16 /08/2021

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-4/2020/38-2 दिनांक 13.08.2021 द्वारा डॉ. शोभित कुमार बाजपेयी, प्राध्यापक (वाणिज्य), राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा की नवीन पदस्थापना पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से संलग्न किया गया है।

अतः राज्य शासन के उपरोक्त आदेश के परिपालन में डॉ. शोभित कुमार बाजपेयी, प्राध्यापक (वाणिज्य) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा को इस विश्वविद्यालय में दिनांक 16.08.2021 से प्राध्यापक वाणिज्य का प्रभार दिया जाता है। डॉ. बाजपेयी वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक के साथ-साथ CIQA एवं नैक सेल के Director होंगे।।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ.क्र. 453 /स्था./प्रशा./2021

बिलासपुर, दिनांक 16/08/2021

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
4. प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर जिला-सरगुजा को सूचनार्थ।
5. डॉ. शोभित कुमार बाजपेयी, प्राध्यापक (वाणिज्य) को सूचनार्थ।
6. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. Co-Ordinator नैक सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. विभाग प्रमुख को सूचनार्थ।
9. कार्यालय प्रति।


प्रमुख
स्थापना/प्रशासन

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

—0—


::आदेश::

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 13/08/2021

क्रमांक एफ 1-4/2020/38-2 :: राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष कॉलम नं. 4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से संलग्न किया जाता है:-

क्रमांक	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	संलग्न किये गये विश्वविद्यालय का नाम
1.	2.	3.	4.
1.	डॉ. राजकुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक (भूगोल)	शास. महाविद्यालय, बरपाली कोरबा, जिला-कोरबा	शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
2.	श्री सुनील कुमार अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, (वाणिज्य)	रा.ग्रा. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा	शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
3.	श्री हर्ष कुमार पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक, (समाजशास्त्र)	शास. महाविद्यालय, सीतापुर, जिला-सरगुजा	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
4.	डॉ.शोभित कुमार बाजपेयी, प्राध्यापक (वाणिज्य)	राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा	पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(ए.आर. खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 13/08/2021

पृ.क्र. एफ 1-4/2020/38-2


प्रतिलिपि:

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
02. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
03. कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़, (छ.ग.)।
04. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, (छ.ग.)।
05. कुलपति, पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, (छ.ग.)।
06. कलेक्टर जिला-रायगढ़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
07. प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, बरपाली, जिला-कोरबा, (छ.ग.)।

निरंतर../2/

जावक क्रमांक... 022/1/653
दिनांक... 24/8/21
कुलसचिव कार्यालय

08. प्राचार्य, रा.ग्रा. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर जिला-सरगुजा, (छ.ग.)।
 09. प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, सीतापुर, जिला-सरगुजा, (छ.ग.)।
 10. प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा,(छ.ग.)।
 11. जिला कोषालय, कोषालय अधिकारी, रायगढ़/बिलासपुर,(छ.ग.)।
 12. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव..... (छ.ग.)।
 13. संबंधित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक..... (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्रति,

माननीय कुलपति जी,
पं० सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्व विद्यालय
बिलासपुर (छावण)

विषय: कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ: (1) छातीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी
भवत नयाशायपुर अरालनगर रायपुर का आदेश क्र०
एफ 1-4/2020/38-2 दि० 13-08-2021.
(2) प्रचार्य शंजी० शासकीय स्नातकोत्तर महा० अम्बिकापुर का
पत्र क्र० 261/स्ना०/2021 दि० 14-08-2021.

महोदय,

सनम निवेदन है कि उपर्युक्त संदर्भांकित (1) एवं (2)
के परिपालन में मैं आज दि० 16.08.2021 पूर्वान्ह में
अपने कार्य पर उपस्थित हूँ।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
सादर।

दि० 16.08.2021

संलग्न:
उपर्युक्त संदर्भांकित क्र० (1)
एवं (2) की प्रति

भवदीय

डॉ० वाजपेयी

(डॉ० शोभित कुमार वाजपेयी)

प्राध्यापक, वाणिज्य

र

16/8/21

पं० सुभा० प्रशास०

16/8/21

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752 website- pssou.ac.in

क्र. 095 / स्था. / प्रशा. / 2022


बिलासपुर, दिनांक : 31 / 03 / 2022

// आदेश //

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.03.2022 के प्रस्ताव क्र. 06 पर लिये गये निर्णय के अनुसार पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कडिका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा को मान्य कर डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी, पिता डॉ रामशरण लाल त्रिपाठी को अनारक्षित वर्ग में विषय वाणिज्य (Commerce) सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100 + 6,000 ग्रेड पे (लेवल-10) में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

2 / यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी -

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्र. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।
- (5) सेवारत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएँ विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानांतरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारी का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त निर्देश 21/2020, वित्त विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक 372/260/वि. /नि./चार/2020 नवा रायपुर दिनांक 29.07.2020 के अनुसार देय होंगे।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

आदेशानुसार


कुलसचिव


पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़


क 996 /स्था./प्रशा./2022

बिलासपुर दिनांक : 31 /03/2022

तलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी पिता डॉ रामशरण लाल त्रिपाठी, त्रिपाठी सदन, नेहरू चौक, इंदिरा सेतु मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

दिनांक:- 31/03/2022

प्रति,

कुलसचिव महोदया,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
बिलासपुर

विषय :- सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) पद पर कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ :- पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का आदेश क्र. 996/स्था.
/प्रशा./2022 बिलासपुर, दिनांक 31/03/2022

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में मैं आज दिनांक 31/03/2022 को
अपरान्ह में सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर रहा हूँ।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सादर

संलग्न :- आदेश की प्रति।

भवदीय



डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 3030 / स्था. / प्रशा. / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 08 / 08 / 2024

प्रति,

कु. अंकिता लकड़ा

विषय :- वाणिज्य

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक : 08 / 08 / 2024

पृ. क्र. 3031 / स्था. / प्रशा. / 2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

1580
14/8/24

प्रति

कुलसचिव

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
द्वारा - विभागाध्यक्ष, ~~शिक्षण~~ **वाणिज्य एवं प्रबंधन** विभाग।

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

संदर्भ : आपका आदेश क्र. 3020/अज्ञा./प्रशा./2024

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 3020/अज्ञा./प्रशा./2024
के तारतम्य में आज दिनांक 12/08/24 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि
शिक्षक) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अप्रेषित:-


हस्ताक्षर श्रीमती
12/8/24

विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर श्रीमती

नाम श्रीमती लक्ष्मी

पं. सुन्दरलाल शर्मा
13/8/24



जावक क्रमांक... 024/1/25
दिनांक ... 14.8.24
कुलसचिव कार्यालय